तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/1797/2005/टोंक** **मू0 सीतारामजी बनाम काली**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थित

श्री सुनील गर्ग, अभिभाषक प्रार्थी।

श्री जे.के. पारीक, अभिभाषक अप्रार्थीगण।

निर्णय

दिनांक 3–7–2025

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, उनियारा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–1–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– आलौच्य आदेशानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी को खारिज किया है।

3– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी।

4– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषकगण ने बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत है। उनका कथन है कि प्रार्थी/वादी द्वारा अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, उनियारा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के तहत् एक वाद वाके ग्राम सेदरी तहसील उनियारा स्थित विवादित आराजीयात् बाबत् प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त विवादित भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा एक वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का सहायक कलेक्टर, टोंक के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य दिनांक 15–4–1985 को राजीनामा हुआ एवं उक्त राजीनामे के अनुसार प्रतिवादीगण मूर्ति मन्दिर श्री सीताराम जी महाराज जरिये मदनलाल वादी को 440 रूपये प्रतिवर्ष भोग निमित्त अदा करेंगे। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त राजीनामें की शर्तों की पालना नहीं किये जाने पर वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादी को विवादित आराजी का कब्जा दिलाये जाने का निवेदन किया गया। दौराने वाद प्रार्थी/वादी द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत कर प्रस्तुत प्रकरण में पेशी दिनांक 26–6–2000 को विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को 440/– रूपये प्रतिवर्ष के हिसाब से राशि जमा कराने के आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 15–1–2000 द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी खारिज कर दिया गया। उनका यह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/1797/2005/टोंक** **मू0 सीतारामजी बनाम काली**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कथन है कि प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामे की शर्त के अनुसार दिनांक 26–6–2000 तक भी उक्त राशि जमा नहीं कराई थी, जिसके लिए न्यायालय के किसी आदेश की आवश्यकता नहीं थी। इसके बावजूद विचारण न्यायाल द्वारा पूर्व पारित निर्णय दिनांक 30–7–1985 का अवलोकन किये बिना गलत रूप से बकाया राशि जमा कराने का आदेश दिनांक 26–6–2000 पारित कर दिया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में माननीय न्यायालय की एकलपीठ द्वारा निगरानी/टीए/5861/2004/टोंक उनवानी मदनलाल बनाम काली में पारित निर्णय दिनांक 29–8–2018 की प्रति, आर.बी.जे. 1996 पृष्ठ 547, आर.आर.डी. 1995 पृष्ठ 731, आर.आर.डी. 2009 पृष्ठ 11, डी.एन.जे. 2006 पृष्ठ 266 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, उनियारा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–1–2005 निरस्त किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावे। 5– हमने प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। 6– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि सर्वप्रथम सहायक कलेक्टर, टोंक द्वारा दिनांक 30–7–85 को अप्रार्थी /प्रतिवादी को 440 रूपये प्रतिवर्ष जून माह में जमा कराने के आदेश दिए थे लेकिन प्रतिवादी द्वारा राशि जमा नहीं कराये जाने के कारण प्रार्थी /वादी द्वारा एक दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के तहत प्रस्तुत कर विवादित भूमि का कब्जा वादी को दिलाने हेतु प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी द्वारा राजीनामें के अनुसार प्रतिवर्ष वादी को 440 रूपये तेल भोग की राशि जमा नहीं करने के कारण बेदखल करवाने का अधिकारी है। सहायक कलेक्टर द्वारा दिनांक 26–6–2000 को यह आदेश पारित किया कि– '' उभय पक्ष की बहस सुनी तथा प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी (प्रतिवादीगण) अप्रार्थी (वादी) मदनलाल को 440 रूपये प्रतिवर्ष के हिसाब से जून 2000 तक की सम्पूर्ण राशि 7040 रूपये का भुगतान तीन दिवस में करे।'' उक्त आदेश के विरूद्व प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना–पत्र रिव्यू अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 , 2 व धारा 151 प्रस्तुत कर कथन किया कि राजीनामें की शर्त की पालना प्रतिवादीगण ने नहीं की है तथा न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–7–85 एवं 15–4–85 की कोई पालना नहीं की है। इसलिए अब कोई बकाया राशि जमा कराने के लिए न्यायालय के आदेश की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बकाया राशि जमा कराने का आदेश निरस्त किया जावे। उक्त प्रार्थना–पत्र के जबाव में अप्रार्थी/प्रतिवादी का कथन था कि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/1797/2005/टोंक** **मू0 सीतारामजी बनाम काली**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वह दिनांक 26–6–2000 को राशि भुगतान के आदेश दिए थे। जिसके क्रम में उसके द्वारा राशि मदनलाल को अदा करने गया तो उसके द्वारा राशि लेने से इंकार कर उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया तथा दिनांक 5–7–2000 अप्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा एक प्रार्थना–पत्र तेल भोग की राशि का वादी को भुगतान दिलवाने बाबत प्रस्तुत कर सम्पूर्ण राशि 7040 न्यायालय में जमा करवाने हेतु प्रस्तुत किया। किन्तु प्रार्थी द्वारा गलत रूप से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया जो निरस्त योग्य है। उपखण्ड अधिकारी ने उभय पक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 15–1–2005 से पुर्नरावलोकन प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया। पुर्नरावलोकन प्रार्थना–पत्र का क्षेत्र सीमित होता है, जिसमें केवल अभिलेख पर प्रथम दृष्ट्या दिखाई देने वाली त्रुटि को देखा जाता है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट अंकित किया है कि दिनांक 26–6–2000 के आदेश की पालना में अप्रार्थी/प्रतिवादी द्वरा राशि जमा कराने का प्रयास किया गया व अभी भी राशि जमा कराने को तत्पर है। परन्तु प्रार्थी द्वारा राशि प्राप्त नहीं की जा रही है। इसलिए प्रार्थी द्वारा बिना समुचित कारण अंकित किए पुर्नरावलोकन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया, जो खारिज योग्य था। जिसे विचारण न्यायालय ने विधिसम्मत तरीके से खारिज कर बहस प्रार्थना–पत्र तेल भोग की राशि का वादी को भुगतान दिलवाने हेतु आगामी तारीख नियत की है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक, तथ्यात्मक या क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं है। जैसा कि डी.एन.जे. 2006 पृष्ठ 266 पर अभिनिर्धारित है कि– **"(B) Civil Procedure Code, 1908-Sec. 115-** Revisional jurisdiction- Interference in order- Exercise of the discretionary power- Interference by High Court in revisional jurisfiction is not justified. [Para 4]" पुर्नरावलोकन प्रार्थना–पत्र में केवल अभिलेख पर दिखाई देने वाली त्रुटि को ही देखा जाता है। प्रार्थी द्वारा ऐसी कोई त्रुटि निर्णय में अंकित नहीं किए जाने से विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत तरीके से प्रार्थना–पत्र खारिज कर आगामी तारीख नियत की है। ऐसे विधिसम्मत आदेश में निगरानी के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः निगरानी खारिज योग्य है। 7– उक्त विवेचन के आधार पर यह निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर)** **सदस्य**	